संख्या-12/2025/3235/22-2-2023-17(204)/2023

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 09 जनवरी, 2025

विषय:- जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नवीन चतुर्वेदी पुत्र श्री अरविन्द चौबे, निवासी जनपद-बलिया की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-25522/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-08.08.2023), दिनांक 09.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नवीन चतुर्वेदी पुत्र श्री अरविन्द चौबे, ग्राम-जापलिंन गंज, थाना-कोतवाली, जनपद-बलिया का निवासी है। पी0डब्लू0डी0 में ठेकेदारी के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 03.07.2004 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राईफल व पिस्टल से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-459/2004 में आई.पी.सी. की धारा-147, 148, 149, 307, 302, 120बी0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-02, बलिया के आदेश दिनांक 27.11.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 24.05.2023 तक अपरिहार 17 वर्ष, 07 माह, 12 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 03 माह, 08 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा मा० उच्चतम नयायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में शारीरिक रूप से सक्षम होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी नवीन चतुर्वेदी पुत्र श्री अरविन्द चौबे की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पी0डब्लू0डी0 में ठेकेदारी के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 03.07.2004 को अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राईफल व पिस्टल से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध को गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नवीन चतुर्वेदी पुत्र श्री अरविन्द चौबे को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नवीन चतुर्वेदी (बन्दी संख्या-237/14) पुत्र श्री अरविन्द चौबे, निवासी जनपद-बलिया की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या-12/2025/3235(1)/22-2-2023-17(204)/2023,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बलिया।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-12/2025/3235/22-2-2023-17(204)/2023

दिनांकः 09 जनवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नवीन चतुर्वेदी पुत्र श्री अरविन्द चौबे, ग्राम-जापलिंन गंज, थाना-कोतवाली, जनपद-बलिया का निवासी है। पी0डब्लू0डी0 में ठेकेदारी के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 03.07.2004 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राईफल व पिस्टल से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-459/2004 में आई.पी.सी. की धारा-147, 148, 149, 307, 302, 120बी0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-02, बलिया के आदेश दिनांक 27.11.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 24.05.2023 तक अपरिहार 17 वर्ष, 07 माह, 12 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 03 माह, 08 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा मा० उच्चतम नयायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में शारीरिक रूप से सक्षम होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी नवीन चतुर्वेदी पुत्र श्री अरविन्द चौबे की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पी0डब्लू0डी0 में ठेकेदारी के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 03.07.2004 को अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राईफल व पिस्टल से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध को गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नवीन चतुर्वेदी पुत्र श्री अरविन्द चौबे को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।